

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 486(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1649(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भाओराव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश” द्वारा माधव सेवा आश्रम (चिकित्सा राहत के लिए सहायता)” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “भाओराव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश” द्वारा चलाई जा रही “माधव सेवा आश्रम (चिकित्सा राहत के लिए सहायता)” की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

[सं. 116/2015/फा. सं. बी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)